

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति.4/क्लर्क ग्रेड-1/पदोन्नति/ 2010/17839-43 दिनांक 11-8-16

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश की अभिशंषा पर उक्त नियमों के नियम 33 के अन्तर्गत क्लर्क ग्रेड-1 के पद की वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश उपाध्याय, क्लर्क ग्रेड-1 के विरुद्ध तत्समय सी.सी.ए. नियम-16 अन्तर्गत (ए0सी0बी. ट्रेप) प्रकरण माननीय विशेष न्यायधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) उदयपुर में विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गयी थी।

श्री ओम प्रकाश उपाध्याय, क्लर्क ग्रेड-1, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण माननीय विशेष न्यायधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) उदयपुर ने दिनांक 21.11.2015 को करते हुये श्री ओम प्रकाश उपाध्याय को आरोपो से सन्देश का लाभ देकर दोष मुक्त किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध विचाराधीन जॉच को निदेशालय के आदेश क्रमांक 20474-78 दिनांक 18.12.2015 को समाप्त कर निलम्बन अवधि का पूर्ण वेतन एवं उससे संबंधित समस्त अनुसंगिक लाभ देय के आदेश दिये जाने के फलस्वरूप श्री ओम प्रकाश उपाध्याय के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री ओम प्रकाश उपाध्याय क्लर्क ग्रेड-1 की तत्समय वेतन श्रृंखला 5200-20200 में ग्रेड पे 2400 में वर्ष 2009-10 की रिक्तियों में वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः श्री ओम प्रकाश उपाध्याय को क्लर्क ग्रेड-1 में तत्समय वेतन श्रृंखला पे-बेन्ड पीबी-1, ग्रेड न. 9 (5200-20200) ग्रेड पे-2400/- में वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। क्लर्क ग्रेड-1 की वरिष्ठता में श्री ओम प्रकाश उपाध्याय का नाम श्री रामबाबू शर्मा के नीचे एवं श्री घनश्याम त्रिवेदी के उपर रहेगा। उक्त कार्मिक वर्तमान में कार्यरत स्थान पर ही पदोन्नति पर कार्यग्रहण करेंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

(स्नेहलता पंवार)

निदेशक

क्रमांक: प.1/प्रति.4/क्लर्क ग्रेड-1/पदोन्नति/ 2010/17839-43 दिनांक 11-8-16
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
3. सहायक निदेशक(कार्यालयाध्यक्ष) आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
4. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. संबंधित कार्मिक श्री.....
6. सामान्य पत्रावली

(रामेश्वर प्रसाद शर्मा)
अति.निदेशक(आयु)